(153) (260)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निग – 3370 – II-16

1. विनय कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह,
2. अरुण कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह,
3. निशान्त सिंह तनय विनय कुमार सिंह,

सभी निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. **स्वतंत्र कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह**, निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील **सिरमौर, जिला रीवा,** (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन।

.... अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, वृत्त बैकुण्ठपुर, जिला रीवा, (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 152 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस तरह से है :–

1. यह कि निगरानीकर्ता क्र. 1 व 2 एवं गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 तथा उनके पिता के द्वारा एक सिविल प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी

(153)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03370– II / 2016 जिला–रीवा

विनय कुमार सिंह / स्वतंत्र कुमार सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 152 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर , जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	